7/5/18 वकुलाप उप01 वकील प्रार्थी ने बताया कि भूमि ख0न0 402 403 404 407 409 कित्ता 5 रकबा 3.37 हे. राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा में स्थित है। जिसकी खातेदारी भागला उर्फ (भागू सिंह) पुत्र बिरमू सिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि के मौके पर तीन हिस्से कर रखे है एवं उसी अनुसार काश्त करते आ रहे है। अप्रार्थी के मन मे अब बदनियति आ गयी। जमीन को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी सं। ने बताया कि वर्तमान में उक्त भूमि कि खातेदारी प्रार्थी व अप्रार्थी न01 के पिता के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के एक बहिन और है जिसका नाम रतन कवंर है जो भागला उर्फ भागू की ज्यान्दा पुत्री है जिसको प्रकरण मे पक्षकार ही नही बनाया गया एवं चामुन्ड सिंह के एक लडके भवानी सिंह को भी प्रकरण में पक्षकार नही बनाया। प्रार्थी प्रकरण में तथ्य छुपाकर आ रहे है प्रार्थी का 1/3 हिस्सा ना होकर 1/4 हिस्सा है। प्रार्थी वर्तमान मे रिकोर्ड खातेदार भी नही है क्योकि अभी उक्त भूमि का विरासत का नामान्तकरण ही नही खुला है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी सं 2071-2074 राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा के अनुसार उक्त भूमि की खातेदारी प्रार्थी व अप्रार्थी न01 के पिता भागला उर्फ भागू के नाम दर्ज रिकार्ड है। भागला उर्फ भागूर के एक पुत्री रतन कवंर होने की बात स्वयं प्रार्थी स्वीकार करके आ रहे है। इस बात से यह स्पष्ट है कि प्रकरण मे उसको पक्षकार नही बनाया एवं न्यायालय के समक्ष तथ्य छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है। वर्तमान में उक्त भूमि कि खातेदारी प्रार्थी के नाम भी नही है। ना ही प्रार्थी उक्त भूमि का रिकार्ड खातेदार है।

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	पुत्री होने की बात प्रार्थी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं जिससे यह स्पष्ट है कि इस हिसाब से प्रार्थी का हिस्सा 1/3 ना होकर 1/4 होता है। मुताबिक जवाब अप्रार्थी न० से यह साबित होता है कि मागजा उर्फ भागा का दिनांक 25-5-2006 को देहान्त हो चुका है जो जवाब मे स्पष्ट अंकित है। इस तथ्य का वकील प्रार्थी द्वारा कोई प्रति उत्तर नही दिया गया। विरासत के नामान्तकरण पर रोक नही लगाई ~~जानी~~ जाना उचित नही समझता। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा दावे के निर्णय तक उभय पक्ष को पाबन्द किया जाता है कि भूमि ख०न० 402, 404, 407 409 403 किता 5 रकबा 3.37 है० ग्राम गोविन्दपुरा का बेचान नही करें। तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि मागजा उर्फ भागु जिद कि विरासत का नामान्तरण जांचकर कर भरकर फैसल करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (जगदीश प्रसाद गौड़) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना उपखण्ड अधिकारी (सीकर)	